कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय।

पत्रांकःआर–15 / जे0डी0 / लखनऊ–14(जीएन) / 29 दिनांकः मार्च 21 2016.

सेवा मे,

मुख्य वास्तुविद नियोजक,
नोएडा प्राधिकरण सेक्टर–06
गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स एस्थेटिक बिल्डटेक प्रा0 लि0 द्वारा पार्सल न0–एस0सी0–01 / ए0–4 सेक्टर–150, नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के संशोधित मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु रिवाईज्ड प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

यूआईडीः 2015 / 9531 / जीबीएन / गौतमबुद्धनगर / 1727 / जे0डी0

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु संशोधित मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तावनाः– प्रश्नगत भवन का अधिभोग बहुमंजिली आवासीय भवन श्रेणी के अन्तर्गत है। प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के संमाक पत्र संख्या दिनांक 24–02–2014 एवं 17–02–2015 के माध्यम से प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया है। तथा वर्तमान मे 02 नये टावर एवं पुराने टावरो आदि मे कतिपय संशोधन किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–2 द्वारा किया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांकः 19–03–2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को प्रेषित की गयी, उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः– प्रश्नगत भवन का पार्सल एरिया–56,652.50 वर्ग मी0। प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के संमाक पत्र संख्या दिनांकः24–02–2014 एवं 17–02–2015 के माध्यम से प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया है। तथा वर्तमान मे 02 नये टावर एवं पुराने टावरो आदि मे कतिपय संशोधन के उपरान्त प्रश्नगत ब्लाक / टावरों का संशोधित टावर वाईज एरिया विवरण निम्नवत हैः–

क्रमांक	नाम टावर	प्रस्तावित तलों विवरण		भूतल कवर्ड एरिया		टिपिकल कवर्ड एरिया		स्टेयर की संख्या व चौडाई मी0।	ऊँचाई मी0।	
		पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान		पूर्व	वर्त0
1	ब्लाक–ए	बेस0,भूतल एवं 14 तल	**बी+जी+21**	640.93	672.282	599.77	603.652	02–अदद–1.5 / 1.5	44.250	67.55
2	ब्लाक–बी	बेस0,भूतल एवं 14 तल	**बी+जी+21**	640.93	672.282	599.77	603.652	02–अदद–1.5 / 1.5	44.250	67.55
3	ब्लाक–सी	बेस0,भूतल एवं 14 तल	**बी+जी+21**	640.93	672.282	599.77	603.652	02–अदद–1.5 / 1.5	44.250	67.55
4	ब्लाक–डी	बेस0,भूतल एव 14 तल	**बी+जी+21**	648.35	672.282	607.19	603.652	02–अदद–1.5 / 1.5	44.250	67.55
5	ब्लाक–ई	बेस0,भूतल एवं 18 तल	**बी+जी+21**	524.59	672.282	508.09	603.652	02–अदद–1.5 / 1.5	65.40	67.55
6	ब्लाक–एफ	बेस0,भूतल एवं 18 तल	**बी+जी+26**	524.59	453.302	508.09	436.813	02–अदद–1.5 / 1.5	65.40	82.80
7	ब्लाक–जी	बेस0,भूतल एवं 14 तल	**बी+जी+26**	539.82	453.302	507.73	436.813	02–अदद–1.5 / 1.5	44.250	82.80
8	ब्लाक–एच	बेस0,भूतल एवं 14 तल	**बी+जी+21**	539.82	582.600	507.73	516.505	02–अदद–1.5 / 1.5	44.250	67.55
9	ब्लाक–आई	बेस0,भूतल एव 14 तल	**बी+जी+21**	539.82	582.600	507.73	516.505	02–अदद–1.5 / 1.5	44.250	67.55
10	ब्लाक–जे	बेस0,भूतल एवं 14 तल	**बी+जी+21**	539.82	582.600	507.73	516.505	02–अदद–1.5 / 1.5	44.250	67.55
11	ब्लाक–के	बेस0,भूतल एव 14 तल	**बी+जी+21**	539.82	582.600	507.73	516.505	02–अदद–1.5 / 1.5	44.250	67.55
12	ब्लाक–एल	–	**बी+जी+21**	–	582.600	–	516.505	02–अदद–1.5 / 1.5	–	67.55
13	ब्लाक–एम	–	**बी+जी+21**	–	582.600	–	516.505	02–अदद–1.5 / 1.5	–	67.55
12	कामर्शियल	–	जी+2	–	1034.854	–	–	02–अदद–1.5 / 1.5	–	12.45
13	क्लब	–	जी+2	–	500.000	–	–			12.45
14	स्कूल	–	जी+2	–	397.273	–	–			12.45

बेसमेन्ट एरिया– प्रश्नगत प्रस्तावित भवन मे एक बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसका कवर्ड एरिया–50816.515 वर्ग मी0 है जिसकी छत की लोड बियरिंग कैपसिटी 45 टन अग्निशमन वाहनों हेतु वॉच्छनीय है।

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–**पहुॅच मार्ग**– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 30 एवं 45 मीटर मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानकों के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

2– **सैटबेक**– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–16.00 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–12.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–12.00 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–12.00 मी0।

संयुक्त निदेशक फायर सर्विस उ0 प्र0 लखनऊ

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई / अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो बाहय भाग मे 7.5 मीटर एवं आन्तरिक भाग 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त मार्ग प्रदर्शित है।

3– **निकास मार्गः**– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे तालिका के अनुसार स्टेयरकेश प्रस्तावित है तथा बेसमेन्ट मे 04 रैम्प प्रस्तावित निकास मार्गो की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा प्रत्येक टावर मे एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

4–**रिफ्यूज एरियाः**– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ–**अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः**– एन0बी0सी0 2005 एवं ततसम्बन्धी बी0आई0एस0 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं कराया जाना अनिवार्य होगा।

1–भूमिगतः–प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार अनिवार्य है।

2–पम्पसः–भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने अनिवार्य हैं जिनका हैड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।

3–टेरिस टैंकः– प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार ली0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार अनिवार्य है।

4–होजरीलः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक ब्लाक मे प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार अनिवार्य है।

5–डाउनकामरः– प्रस्तावित भवन के स्कूल, कम्यूनिटी एवं कामर्शियल भवनो मे मे डाउनकामर का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार अनिवार्य है।

6–वेटराईजरः– प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार अनिवार्य है।

7–**यार्ड हाईड्रेण्टसः**– प्रस्तावित भवन मे रिंग लाईन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉछनीय है।

8–**आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः**– प्रश्नगत भवनों मे स्कूल कम्यूनिटी के अतिरिक्त समस्त तलो पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार अनिवार्य है।

9–**आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः**– प्रश्नगत समस्त भवनों मे ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार अनिवार्य है।

10–**मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः**– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार अनिवार्य है।

11–**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)**:– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार अनिवार्य है।

12–**स्मोक एक्स्ट्रेंक्शनः**– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार अनिवार्य है।

13–**कम्पार्टमेन्टेशनः**– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार अनिवार्य है।

14–**एग्जिट साईनेजः**– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार अनिवार्य है।

15–**पी0ए0 सिस्टमः**– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार अनिवार्य है।

16–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी / स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

17–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 के प्रस्तर सी0–5,सी–6,सी–7,सी–8 एवं सी–9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

18–भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुयें जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य / अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर की आख्या के अनुसार मैसर्स एस्थेटिक बिल्डटेक प्रा0 लि0 द्वारा पार्सल न0–एस0सी0–01 / ए0–4 सेक्टर–150, नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन / इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान नौएडा भवन विनियमावली–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण / परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

(पी0 के0 राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
3–अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–2 जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–मैसर्स एस्थेटिक बिल्डटेक प्रा0 लि0 द्वारा पार्सल न0–एस0सी0–01 / ए0–4 सेक्टर–150, नोएडा को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।